

Sl.No. 11. Annexure- IV to part II

Office of the Divisional Forest Officer, Gaya Forest Division, Gaya, Bihar

Site Inspection report of DCF

Inspection Date : 5/04/2022

Gaya SH-70, Rajouli_Wajirganj road has been notified as Protected Forest for management purpose by Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Bihar vide S.O. No. 400 dated 31.12.1996. The proposed area of **0.01455 Hectares** is submitted for diversion of inlet and exit of retail outlet of BPCL. Actual area involved in the project is **0.01762 Hectares** and has been visited by the undersigned along with survey team and verified the facts in proposed site. The requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum of the project.

- The diversion of **0.01455 Hectares** of protected forest land is proposed for the **retail outlet of BPCL**.
- During the inspection on **5.04.2022** as per the instructions of APPCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (Forest Conservation) letter No. **FC/143/2021-1010 dated 17.11.2021**, the actual area was found to **0.01762 Hectares** which is notified as Protected Forest.
- The area for diversion is **0.01762 Hectares** and the user agency requires protected forest land containing **NIL trees**. No endangered and rare tree/species was found in the proposed area. Density of Vegetation is **approximately zero** for the purpose of NPV calculation.
- This is bare minimum forest area required for completion of **retail outlet of BPCL**.
- No other alternative exists to the user agency to avoid this bare minimum forest land.
- Generally the project area is vulnerable to medium soil erosion due to intrinsic geological features of the substrate during rainy season.
- The proposed project area is a **Notified Protected Forest** and does not form part of any National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve, Tiger Reserve, Elephant Corridor etc. The proposed project area is at a distance of 7 Km from Wildlife Sanctuary.
- **Nilgai** is found naturally and freely distributed across the Gaya district in the farm lands. Animals like jackal, hair, Common Langur etc. are also found in the nearest forest areas. Apart from these, local birds are abundant in these areas. The undersigned is of the opinion that the proposed project will not affect the distribution or movement of any wild animals found in the areas. So far, no cases of wildlife deaths have been reported in the proposed road. Nevertheless, the crop raiding by Blue Bull is present in the adjoining areas of the forest boundary.



- As per my knowledge, the enquiry report of the Forest officials and the information provided by user agency, there is no record of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area of the proposed project.
- The User Agency has not violated the prescribed provisions of the Forest conservation Act and Indian Forest Act.
- The area identified for compensatory afforestation falls on the **Notified Protected Forest** along Gaya SH-70, Rajouli-Wajirganj road where 100 plants in the form of linear plantation will be done with **Iron-Gabion Protection**.


11/11/22

(Rajeev Ranjan)
Deputy Conservator of Forest
Gaya Forest Division, Gaya



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया

सेवानगर, न्यू करीमगंज, गया (फैक्स एवं फोन नं.0.0631-2950310. ई-मेल : gayadfo@gmail.com)

पत्रांक- 1708 दिनांक- 11-04-2022

8/11/4/22 प्रेषक,

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गया वन प्रमण्डल, गया

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया।

विषय:-

गया जिलान्तर्गत मौजा-भारे के खाता संख्या-306, प्लॉट संख्या-4935, थाना संख्या-51 थाना+अंचल-फतेहपुर में SH-70 रजौली-वजीरगंज पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुंच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.014 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

उप वन संरक्षक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग) बिहार पट का पत्र संख्या- FC/143/2021-1010, दिनांक 17.11.2021

11/4/22 महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निर्देशानुसार स्थलीय जांचोपरान्त कंडिकावार विवरणी निम्नवत

- (प) प्रस्तावित स्थल भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत रक्षित वन घोषित है जिसका अधिसूच संख्या- S.O.400, Dated 31-12-1996 है।
- (ii) रिटेल आउटलेट में प्रवेश वन पथ की लंबाई 9.50 मी० तथा चौड़ाई 7.50 मी० कुल 71.25 वर्गमीटर है त रिटेल आउटलेट में निकास वन पथ की लंबाई 14.00 मी० तथा चौड़ाई 7.50 मी० है, कुल 105.00 वर्गमी कुल रकवा-71.25+105.00=176.25 वर्गमीटर या 0.01762 हे० है।
- (iii) भवदीय के पत्रांक-FC-106, दिनांक 19.03.2013 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के अनुरूप वन भूमि की गणना लिया गया है।
- (iv) प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की संख्या नगण्य है।
- (v) संलग्न नक्शा का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है एवं हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
- (vi) प्रस्तावित स्थल में प्रयुक्त होने वाली पथ तट की भूमि का क्षेत्रफल 0.01762 हे० है।
- (vii) FRA, 2006 का प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी से अनुरोध किया गया है।
- (viii) प्रस्तावित स्थल का DGPS रीडिंग संलग्न है।
- (ix) प्रस्तावित स्थल का स्थल निरीक्षण टिप्पणी संलग्न है।
- (x) प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से वन्यप्राणी आश्रयणी की दूरी लगभग 07 कि०मी० है।
- (xi) परियोजना में अपयोजित होने वाली भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्तमान मजदूरी दर 318/-मानव दिवस के आधार पर 10 वर्षीय प्राक्कलन तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11/4/22
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया।



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया
सेवानगर, न्यू करीमगंज, गया (फोन नं०.0631-2950310. ई-मेल : gayadfo@gmail.com)


पत्रांक- 3410 दिनांक- 15-07-22

प्रेषक,

राजीव रंजन, मा०व०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गया वन प्रमण्डल, गया

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग), बिहार,
पटना।



विषय:-

गया जिलान्तर्गत मौजा-भारे के खाता संख्या-306, खेसरा संख्या-4935, थाना संख्या-306 थाना-फतहपुर में SH-70 रजौली-वजीरगंज पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुंच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.01762 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग-

भवदीय का पत्रांक-FC/143/2021-532, दिनांक 17.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में गया जिलान्तर्गत मौजा-भारे के खाता संख्या-306, खेसरा संख्या-4935, थाना संख्या-306 थाना-फतहपुर में SH-70 रजौली-वजीरगंज पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुंच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.01762 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध पायी गयी त्रुटियों के संबंध में कण्डिकावार प्रतिवेदन निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित स्थल पर वृक्ष के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित परिवचन पत्र समर्पित किया है जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-3375, दिनांक 15-07-22 द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी को संसूचित करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया है।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अपयोजित होने वाली भूमि का रकवा 0.01455 हेक्टर समर्पित किया गया है जिसे प्रपत्र-II के कण्डिका-7(iv) में दर्शाया गया है, परन्तु संयुक्त स्थलीय जांच प्रतिवेदन में अपयोजित होने वाली वास्तविक भूमि का रकवा 0.01762 हे० पाया गया है।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित प्रपत्र-II के कण्डिका-7(iv) में वास्तविक भूमि का रकवा 0.01762 हे० स्पष्ट कर दिया गया है।
4. RCD/PWD/NHAI/NH एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंत्रालय के वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया जाना इस प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।

सूचनार्थ समर्पित

विश्वासभाजन,

(Signature)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया।

NB



बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गया वन प्रमण्डल, गया

सेवानगर, न्यू करीमगंज, गया (फोन नं०.0631-2950310. ई-मेल : gayadfo@gmail.com)

पत्रांक- 3375 दिनांक- 15-07-2022

प्रेषक,

राजीव रंजन, मा०ब०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गया वन प्रमण्डल, गया

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग), बिहार,
पटना।



विषय:-

गया जिलान्तर्गत मौजा-भारे के खाता संख्या-306, खेसरा संख्या-4935 थाना संख्या-306 थाना-फतैहपुर में BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में वृक्षों का Translocate नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग-

उप वन संरक्षक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग), बिहार पटना का पत्रांक-FC/143/2021-532, दिनांक 17.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेंसी श्री आनन्द कुमार द्वारा BPCL रिटेल आउटलेट पर पहुंच एवं निकास पथ के प्रस्तावित भू-खण्ड पर अवस्थित 1 शीशम एवं 3 ताड़ वृक्ष को यथावत रखने हेतु परिवचन पत्र समर्पित किया गया है कि वृक्ष को यथावत रखने से प्रवेश एवं निकास में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी (छाया प्रति साथ संलग्न)।

अतः प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित परिवचन पत्र संलग्न करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गया वन प्रमण्डल, गया।

NB
15-7-22

श्रीग श्री,

वन प्रमोशन परामर्शकारी
जया वन प्रमोशन (जया)

विषय -

रिजल आइडलेंट के किनारे लिखत वृक्ष को
Translocate नहीं करने हेतु। प्रस्तावित वृक्षों
मौजा - भारी, खाना सं. - 306, खेत सं. -
4935, खाना सं. - 584 (जयपुर), जिला -
जया (दिलाल)

महोदय,

निवेदन सूचित करना है कि भारत पर्यावरण
द्वारा मुझे आवेदन की गई रिजल आइडलेंट
की प्रस्तावित वृक्षों के किनारे एक विशाल
वा एके ग्रीन बार्ड के वृक्ष हैं। परंतु
इस सगी वृक्षों के जाड़ियों का प्रवेश एवं
विकास में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो
सकता है।

आज्ञा
12/07/22

12/7/22

अतः श्रीमान के अवरोध के की
इस सगी वृक्षों की Translocate
नहीं किया जाए। इसके लिए
मेरे आपका आभारी हूँ।

Anand Kumar

विद्यालोकान

12/07/22

